कार्यालय नगर पंचायत, राजगीर (नालंदा)

(नगर विकास एवं आवास विभाग,बिहार)

दूरभाष सं0–06112-255547
फैक्स सं0–06112-255973
Web- www.nprajgir.org
ई –मेल–nagarpanchayatrajgir@gmail.com

पत्रांक....................
दिनांक........./........./2018

प्रेषक,

कर्यापालक पदाधिकारी
नगर पंचायत,राजगीर।

सेवा में,

वरीय लेखा पदाधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय
सोशल सेक्टर-1
महालेखाकार बिहार पटना।

SO-7
28.9.18

श्री संजीव
29/9/18

विषय :- नगर पंचायत राजगीर के अंकेक्षण प्रतिवेदन सं० 228/2008-09 की लंवित कंडिका का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित साक्ष्य सहित उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग :- नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार पटना के पत्रांक 2117 दिनांक 13.09.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषय प्रसांगिक पत्र के संबंध में सादर पूर्वक कहना है कि नगर पंचायत राजगीर के अंकेक्षण प्रतिवेदन सं० 228/2008-09 की लवित कडिका का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि लवित कडिकाओं को विलीपित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन।

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत,राजगीर।

ज्ञापांक 1139 दिनांक 15/9 /2018.

प्रतिलिपि :- सहायक निदेशक -सह - संयुक्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

15/9/18
कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत,राजगीर।
15/9/18

कार्यालय नगर पंचायत,राजगीर(नालन्दा)

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या- 228/2008-09

<table>
<tr><th>कंडिका सं0</th><th>आपत्ति का सार</th><th>कार्रवाई का ब्यौरा</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td>1</td><td><u>प्रस्तावना</u>
राजगीर नगर पंचायत के वर्ष 2005-06 से 2007-08 तक के लेखाओं की नमूना जाँच प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा, पटना के एक लेखा परीक्षा दल द्वारा दिनांक 02.06.2008 से 28.06.2008 तक की अवधि में किया गया।</td><td>कोई टिपण्णी नहीं।</td></tr>
<tr><td>2</td><td><u>प्रशासन</u>
<table>
<tr><th colspan="3">कार्यपालक पदाधिकारी</th></tr>
<tr><td>1</td><td>श्री राजेश कुमार, कार्यपालक दण्डाधिकारी –सह– कार्यपालक पदाधिकारी</td><td>01.04.05 से 16.06.07</td></tr>
<tr><td>2</td><td>श्री अनिल कुमार शर्मा, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी –सह– कार्यपालक पदाधिकारी</td><td>17.06.07 से 21.11.07</td></tr>
<tr><td>3</td><td>श्री कुमार अरूण प्रकाश, उप–समाहर्त्ता, भूमि सुधार –सह– कार्यपालक पदाधिकारी</td><td>22.11.07 से 31.03.08</td></tr>
<tr><th colspan="3">अध्यक्ष</th></tr>
<tr><td>1</td><td>श्रीमती उर्मिला देवी</td><td>01.04.05 से 08.05.07</td></tr>
<tr><td>2</td><td>श्रीमती शकुन्तला देवी</td><td>09.05.07 से 31.03.08 तक</td></tr>
<tr><th colspan="3">उपाध्यक्ष</th></tr>
<tr><td>1</td><td>श्री नरेश यादव</td><td>01.04.05 से 08.05.07 तक</td></tr>
<tr><td>2</td><td>श्री श्यामदेव राजवंशी</td><td>09.05.07 से 31.03.08 तक</td></tr>
</table></td><td>कोई टिपण्णी नहीं।</td></tr>
<tr><td>3</td><td><u>अंकेक्षण की परिसीमा</u> :– अंकेक्षण में जाँच किये गये अभिलेखों की सूची परिशिष्ट– I में तथा अंकेक्षण उपस्थापित नहीं किये गये अथवा असंधारित अभिलेखों की सूची परिशिष्ट– II में दी गयी है।</td><td>कोई टिपण्णी नहीं।</td></tr>
<tr><td>4</td><td><u>अधिदृश्य</u> :– नगर पंचायत, राजगीर राज्य सरकार के अनुदान एवं ऋण तथा स्वयं के आय स्त्रोतों से वित्त सम्पोषित होती है। वर्ष 2005-06 से 2007-08 तक की वार्षिक आय–व्यय लेखा नगर पंचायत के द्वारा तैयार नहीं किया गया था। जिसके कारण वास्तविक आय–व्यय की स्थिति का पता नहीं चल सका। फिर भी पी0एल0 खाता रोकड़ बही के अनुसार आय–व्यय का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है।
<table>
<tr><th>क्र0</th><th>मद</th><th>2005-06</th><th>2006-07</th><th>2007-08</th></tr>
<tr><td>1</td><td>प्रा0 शेष</td><td>1,90,840.06</td><td>30,04,301.00</td><td>20,28,355.00</td></tr>
<tr><td>2</td><td>प्राप्ति</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>1. अनुदान</td><td>1,57,738.00</td><td>-</td><td>7,85,268.00</td></tr>
<tr><td></td><td>2. ऋण</td><td>89,684.00</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td></td><td>3. मुद्रांक शुल्क</td><td>6,03,237.00</td><td>6,79,449.00</td><td>-</td></tr>
</table></td><td>नगर पंचायत, राजगीर के पी0एल0ए0 खाता को अद्यतन कर रोकड़ बही से मिलान कर लिया गया है। अतः इस कंडिका को विलोपित किया जा सकता है।</td></tr>
</table>

	4. 12वॉ वित्त आयोग	18,19,547.00	10,71,362.00	21,13,480.00	
	5. विकास अनुदान	10,00,000.00	5,47,900.00	13,97,640.00	
	6. सूद के स्त्रोत से	2,90,974.00	4,47,815.00	9,69,113.00	
3	कुल प्राप्ति	39,61,180.00	27,46,526.00	52,65,501.00	
4	कुल आय (1+3)	41,52,020.00	57,50,827.00	72,93,856.00	
5	व्यय	11,47,719.00	37,22,472.00	16,95,786.00	
6	अन्त शेष	30,04,301.00	20,28,355.00	55,98,070.00	

रोकड़ बही के अनुसार अन्त शेष 55,69,709.00 रू0 है। यह अन्तर अगस्त 2005 के प्राप्ति में 28361.00 रू0 रोकड़ बही में नहीं लेने के कारण है।
पी0एल0 खाता से संबंधित पासबुक अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण उपरोक्त आँकड़ों के सत्यता की जाँच नहीं की जा सकी।
अतः नगर पंचायत प्रशासन से अनुरोध है कि पासबुक को अद्यतन कराकर रोकड़ बही से उसकी जाँच करायें एवं रोकड़ बही में आवश्यक संशोधन करें।

5(1)	**रोकड़ बही** :- नगर पंचायत, राजगीर में रोकड़पाल के रोकड़ बही का संधारण नहीं किया गया है। यह रोकड़ बही नगर पंचायत का मूल दस्तावेज है। जिसके नहीं रहने के कारण नगर पंचायत को प्राप्त सभी प्राप्ति का पंचायत निधि में समय से जमा का पता नहीं चल पाता है। अतः तत्काल रोकड़पाल के रोकड़ बही का संधारण किया जाए एवं उसे अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए। रोकड़ बही का नहीं संधारण, सरकार के द्विप्रविष्टि रोकड़ संधारण के उद्देश्यों को विफल करता है।	रोकड़पाल से रोकड़ बही का संधारण कर लिया गया है। जिसे अगले अंकेक्षण दिखा दिया जाएगा। अतः इस कंडिका को विलोपित किया जा सकता है।
6	**पूर्ववर्ती अंकेक्षण प्रतिवेदन** :- लेखा परीक्षा के दौरान मौखिक तथा लिखित रूप में पूर्व के अंकेक्षण प्रतिवेदनों के कंडिका के अनुपालन हेतु सुझाव दिया गया। परन्तु नगर पंचायत प्रशासन द्वारा कोई भी अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं उसका अनुपालन अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि जिस उद्देश्य के लिए अंकेक्षण किया गया था। उसकी पूर्ति नहीं होने में मुख्य रूप से कार्यपालक पदाधिकारी एवं नगर पंचायत के कर्मचारी जिम्मेवार है। अतः नगर पंचायत प्रशासन को सुझाव दिया जाता है कि पूर्व के अंकेक्षण प्रतिवेदनों का अनुपालन यथाशीघ्र तैयार कर स्थानीय लेखा परिक्षक को यथाशीघ्र उपलब्ध करायें।	पूर्ववर्ती अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन कर अगले अंकेक्षण दल के समक्ष उपस्थापित कर दिया जाएगा अतः इस कंडिका को विलोपित किया जा सकता है।
7	**प्रमुख अंकेक्षण उपलब्धियाँ** :-	

क्र0	कंडिका सं0	विवरण
1	10	हुडको के माध्यम से शहरों का मास्टर प्लान
2	11	एकादश वित्त आयोग
3	12	द्वादश वित्त आयोग
4	13	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना
5	16	आई0डी0एस0एम0टी0
6	17	राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><td>7</td><td>20</td><td>बैरियर लेखा</td></tr>
<tr><td>8</td><td>23</td><td>वीरायतन पर कर</td></tr>
<tr><td>9</td><td>24</td><td>इण्डो होक्के होटल</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>
<u>अनुदान</u> :- नगर पंचायत, राजगीर में अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया था। अतः यह स्पष्ट नहीं हो सका कि कितनी राशि राज्य सरकार से प्राप्त हुआ था तथा उसमें से कितना व्यय किया गया था। पी0एल0 रोकड़ बही के अनुसार निम्नलिखित राशि अंकेक्षण अवधि के दौरान अनुदान के रूप में प्राप्त हुआ था।
<table>
<tr><th>क्र0</th><th>पत्रांक/ दिनांक</th><th>राशि</th><th>मद</th></tr>
<tr><td>1</td><td>न0वि0वि0 803/30.03.2005</td><td>105388.00</td><td>वेतन मद</td></tr>
<tr><td>2</td><td>प्रा0पत्र T.A.1202/03.06.06</td><td>52350.00</td><td>,,</td></tr>
<tr><td>3</td><td>न0वि0वि0 5264/26.11.07</td><td>785268.00</td><td>,,</td></tr>
<tr><td>4</td><td>प्रा0पत्र T.A.20stamp/304/09.08.05</td><td>603237.00</td><td>मुद्रांक शुल्क</td></tr>
<tr><td>5</td><td>प्रा0पत्र T.A.20stamp/336/19.09.06</td><td>679449.78</td><td>मुद्रांक शुल्क</td></tr>
</table>
इन सभी अनुदानों का आवंटन पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। अनुदान पंजी का यथाशीघ्र संधारण कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।
</td>
<td>राज्य सरकार से नगर पंचायत, राजगीर को प्राप्त अनुदान की राशि को अनुदान पंजी में संधारित किया गया तथा आय-व्यय का लेखा-जोखा संधारित कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाएगा। अतः इस कंडिका को विलोपित किया जा सकता है।</td>
</tr>
<tr>
<td>8(1)</td>
<td>
<u>विकास अनुदान</u> :- रोकड़ बही के अनुसार राजगीर नगर पंचायत को निम्न अनुदान विकास के लिए दिया गया था।
<table>
<tr><td>(I)</td><td>न0वि0वि0 पत्रांक-3115/19.09.06</td><td>425500.00</td><td>सफाई के लिए आधुनिक मशीन क्रय हेतु</td></tr>
<tr><td>(II)</td><td>न0वि0वि0 पत्रांक-856/21.02.08</td><td>1397640.00</td><td>चापाकल लगाने हेतु</td></tr>
</table>
इन राशियों में से कोई भी राशि व्यय नहीं किया गया था।
अतः इसे यथाशीघ्र व्यय कर उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जाए।
</td>
<td>सफाई के लिए आधुनिक मशीन एक अद्द ट्रैक्टर क्रय किया गया है एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को भेज दिया गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना द्वारा विधायक मद की राशि से कुल 38 चापाकल में से 19 चापाकल लगाया गया है। अतः इस कंडिका को विलोपित किया जा सकता है।</td>
</tr>
<tr>
<td>8(2)</td>
<td><u>सरकारी ऋण</u> :- नगर विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक- 804, दिनांक 30.03.2005 के द्वारा नगर पंचायत को रू0 89684.00 ऋण वेतन मद के लिए दिया गया था। लेकिन नगर पंचायत में ऋण पंजी/ ऋण विनियोग पंजी का संधारण नहीं किया गया था अतः पहले के प्राप्त ऋण का बकाया तथा उसपर कितना ब्याज बकाया था तथा उसमें से कितनी राशि सरकार को लौटायी गयी इसका अंकेक्षण में नहीं चल सका। अतः ऋण पंजी/ ऋण विनियोग पंजी का यथाशीघ्र संधारण किया जाए तथा उसे अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।</td>
<td>ऋण पंजी का संधारण कर लिया गया है। अगले अंकेक्षण में दिखा दिया जाएगा। अतः इस कंडिका को विलोपित किया जा सकता है।</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td><u>बजट</u> :- बिहार एवं उड़ीसा नगर पालिका अधिनियम 1922 की धारा 71 के</td>
<td>नगर पंचायत, राजगीर</td>
</tr>
</table>

	अनुसार प्रत्येक नगर निकाय को हर वर्ष जनवरी में आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए बजट का प्राक्कलन करना है तथा धारा 72 के अनुसार तैयार बजट की एक प्रति करदाताओं के सुझाव एवं सूचना के लिए सूचना पट्टी पर 14 दिन तक रखना है तथा प्राप्त सुझावों को समायोजित कर बजट प्राक्कलन स्वीकृत कर राज्य सरकार को भेजा जाएगा। परन्तु नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था जो एक अनियमितता है। अतः यथाशीघ्र बजट प्राक्कलन तैयार कर तथा उसे पारित कर राज्य सरकार को भेजा जाए।	का बजट के बैठक में स्वीकृत/पारित कराकर कार्यालय में सूचना पट्ट पर 14 दिन रखा जाता है तथा सुझाव यदि कोई हो तो समायोजित कर बजट स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भेजा जाता है। अतः इस कंडिका को विलोपित किया जा सकता है।
9(ख)	<u>कर का मुल्यांकन</u> :- बिहार एवं उड़ीसा नगर पालिका अधिनियम 1922 के धारा 106 के अनुसार नगर निकाय प्रत्येक 5 साल पर कर का मुल्यांकन करेगा और अपने करों की दर में संशोधन करेगा। लेकिन इस धारा के विपरीत नगर पंचायत, राजगीर में वर्ष 1956 के बाद कोई कर का मुल्यांकन/ नवीनिकरण नहीं किया गया है जिससे नगर पंचायत प्रत्येक वर्ष लाखों रू0 के आय से वंचित हो रहा है। नगर पंचायत के वित्तीय स्थिति को देखते हुए तत्काल करों के नये सिरे से मुल्यांकन की कार्रवाई की जानी चाहिए।	नगर पंचायत के करो को बोर्ड द्वारा नये सिरे से कर वर्ष 2008-09 में निर्धारण किया गया है तथा इसे विभाग द्वारा स्वीकृति प्राप्त है। उक्त नये दर से होल्डिंग टैक्स का मूल्यांकन कर वसूली वर्त्तमान में की जा रही है। अतः इस कंडिका को विलोपित किया जा सकता है।
ii	नगर पंचायत, राजगीर द्वारा पेशाकर नहीं लगाया जाता है जबकि बिहार एवं उड़ीसा नगर पालिका अधिनियम 1922 की धारा 83 के अनुसार नगर निकायों को पेशाकर लगाना है। अतः पेशाकर लगाने की दिशा में उचित कारवाही की जाए।	पेशाकर लगाने हेतु बैठक में निर्णय लिया गया है। पेशाकर लगाने की कार्रवाई की जा रही है। अतः इस कंडिका को विलोपित किया जा सकता है।
iii	नगर पंचायत में खतरनाक लाइसेंस शुल्क के माँग पंजी का संधारण नहीं किया गया था तथा वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में कोई वसूली भी नहीं की गयी थी। सरकार द्वारा 1991 से नये दर पर वसूली करने के लिए दर निर्धारित किया गया था और उसे सभी नगर निकाय में प्रेषित किया गया था। लेकिन नगर पंचायत, राजगीर में वर्ष 2007-08 में पुराने दर पर ही बहुत कम मात्रा में खतरनाक व्यवसाय कर की वसूली की गई है। इससे प्रत्येक वर्ष राजस्व की हानि हो रही है। अतः खतरनाक व्यवसाय के माँग पंजी का नये दर पर संधारण कर लाइसेंस वसूली की व्यवस्था की जाए।	नगर पंचायत, राजगीर में वर्ष 2014 से ट्रेड लाईसेंस लागू कर दिया गया है। जिसमें खतरनाक व्यवसाय भी शामिल है। अतः इस कंडिका को विलोपित किया जा सकता है।
10	हुडको के माध्यम से शहरों का मास्टर प्लान :- नगर विकास विभाग, बिहार सरकार के द्वारा राजगीर नगर पंचायत को शहर के मास्टर प्लान के निर्माण के लिए निम्नलिखित राशि प्राप्त हुआ था।	मास्टर प्लान हुडको द्वारा समर्पित किया गया है। वार्ड की अगली बैठक में

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><td>1</td><td>न0वि0वि0, बिहार, पटना के ज्ञापांक- 470</td><td>दिनांक 18.02.06</td><td>1000000.00 पी0एल0 खाता</td></tr>
<tr><td>2</td><td>न0वि0वि0, बिहार, पटना के ज्ञापांक- 470</td><td>दिनांक 15.01.07</td><td>122400.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">कुल योग :-</td><td>1122400.00</td></tr>
</table>
राजगीर नगर पंचायत के मास्टर प्लान को तैयार करने के लिए हुडको का चयन राज्य सरकार ने किया था तथा उसके आलोक में हुडको एवं कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत के बीच दिनांक 26.02.07 को एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुआ था जिसके अनुसार मास्टर प्लान के लिए 1000000.00 रू0 एवं सेवा कर के रूप में 12.36% की राशि का भुगतान नगर पंचायत को करना था। नगर पंचायत द्वारा निम्नलिखित राशि का भुगतान किया गया :-
<table>
<tr><td>1</td><td>चेक सं0- A373043</td><td>दिनांक- 10.06.07</td><td>500000.00</td><td rowspan="2">कार्यकारी निदेशक, हुडको, पटना।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>चेक सं0- A372702</td><td>दिनांक- 07.06.08</td><td>176160.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">कुल योग :-</td><td>676160.00</td><td></td></tr>
</table>
</td>
<td>अनुमोदन की कार्यवाही की जायेगी।</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><u>अंकेक्षण आपत्ति</u>
1. सहमति पत्र के कंडिका- 2 के अनुसार सहमति की तिथि से छः माह के अन्दर हुडको को मास्टर प्लान तैयार करके देना था। अगर इस तिथि में बदलाव की आवश्यकता होगी तो दोनों पक्षों की आपसी सहमति की आवश्यकता होगी। लेकिन अंकेक्षण अवधि की समाप्ति तक (26.06.08) हुडको ने अंतिम रूप से मास्टर प्लान तैयार करके नहीं दिया जबकि उसे 31.08.07 तक अंतिम रूप से तैयार मास्टर प्लान दे देना था।</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2. सहमति पत्र के कंडिका- 4 के अनुसार हुडको को 50% राशि सहमति की तिथि को अगला 10% राशि प्रथम निरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध कराने पर अगला 20% राशि ड्राफ्ट मास्टर प्लान पर, अगला 10% राशि ड्राफ्ट अंतिम मास्टर प्लान पर और शेष राशि अंतिम मास्टर प्लान की प्रति देने पर मिलना था। परन्तु हुडको द्वारा अभी तक प्रथम निरीक्षण प्रतिवेदन भी तैयार नहीं किया गया है लेकिन उसे 1,76,160.00 रू0 के द्वितीय किस्त का भुगतान कर दिया गया जो सहमति पत्र का उल्लंघन है।
निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरा नहीं करने पर नगर पंचायत द्वारा कोई कार्रवाई भी नहीं किया गया। अतः हुडको द्वारा तत्काल मास्टर प्लान बनाने के लिए अन्यथा उनसे 6,76,160.00 रू0 वापस मांगने के लिए नगर विकास विभाग से पत्राचार किया जाए।</td>
<td>कोई कार्य नगर पंचायत, राजगीर से पूछ कर विभाग नहीं करायी है। अतः इस कंडिका को विलोपित किया जा सकता है।</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(ख) नगर विकास विभाग, बिहार सरकार पटना के पत्रांक- 561, दिनांक- 25.10.2006 के द्वारा नगर पंचायत, राजगीर को 25,000.00 रू0 की राशि समेकित विकास एवम् समेकित आवास तथा गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम में योजनाओं के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिए दिया गया था। इस राशि को भारतीय स्टेट बैंक के खाता सं0- 01100007243 में जमा किया गया था लेकिन इसकी प्रविष्टि किसी भी रोकड़ बही में नहीं है। इसे तत्काल रोकड़ बही में दर्ज किया जाय। इस राशि को प्राप्त हुए एक वर्ष से ज्यादा हो गए लेकिन अभी तक इसका उपयोग नहीं किया गया। यदि इस राशि</td>
<td>गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम योजना में राशि अभी नगर पंचायत, राजगीर को अप्राप्त है। अतः इस कंडिका को विलोपित किया जा सकता है।</td>
</tr>
</table>

	की आवश्यकता न हो तो इसे सरकार को वापस कर दिया जाए।	
11.	<u>एकादश वित्त आयोग</u> नगर पंचायत, राजगीर के एकादश वित्त आयोग की रोकड़ बही के अनुसार 2005-06 का प्रा० शेष निम्नलिखित था :- 1 | सेन्ट्रल बैंक, राजगीर (बचत खाता सं०- 12611) | 14,69,375.00 2 | दिनांक 25.02.04 को सेन्ट्रल बैंक से पी०एल० खाता में स्थानान्तरण | 6,05,011.00 इसके विरूद्ध वर्ष 2005-06 में कुल 28 योजनाएं ली गई थीं जिसकी प्रा० राशि 17,36,000.00 रू० थी। मापी पुस्तिका के अनुसार सभी योजनाएं पूर्ण थी, लेकिन 21 योजनाओं में अभिकर्त्ता को 82,024.00 रू० का भुगतान देय था। वर्ष 2004-05 के पाँच योजनाओं में वित्तीय वर्ष 2005-06 में 1,97,664.00 रू० का भुगतान किया गया था तीन योजनाओं पर कुल 11,672.00 रू० का भुगतान अभिकर्त्ता को देय था।	एकादश वित्त आयोग की योजनाओं से देय राशि 11,672.00 रू० का भुगतान अभिकर्त्ता को कर दिया गया है। अतः इस कंडिका को विलोपित किया जा सकता है।
	<u>अंकेक्षण आपत्ति</u> (i) योजना पंजी का संधारण नहीं किया गया था अतः योजना संचिका एवं रोकड़ बही के आधार पर योजना की विवरणी तैयार की गई है।	योजना पंजी का संधारण कर लिया गया है। जिसे अगले अंकेक्षण में दिखा दिया जाएगा। अतः इस कंडिका को विलोपित किया जा सकता है।
	(ii) योजना संचिका के आधार पर कुल व्यय 17,11,308.00 रू० था, जिसमें से 25,000.00 रू० पी०एल० खाता से व्यय किया गया था तथा शेष 16,86,308.00 रू० सेन्ट्रल बैंक (खाता सं०- 12611) से व्यय किया गया था जबकि रोकड़ बही के अनुसार सेन्ट्रल बैंक से कुल व्यय 16,92,308.00 रू० था। इससे स्पष्ट है कि 6000.00 रू० का व्यय अन्य मद में किया गया है।	अन्य मद में 6000.00 रू० का व्यय का जवाब उस समय के तत्कालीन पदाधिकारी हीं बता सकते है। अतः इस कंडिका को विलोपित किया जा सकता है।
	(iii) रोकड़ बही के अनुसार सेन्ट्रल बैंक से योजनाओं में व्यय निम्न प्रकार था :- (a) | पूर्व की योजना पर व्यय | 1,97,664.00 (b) | 2005-06 की योजना पर व्यय | 14,88,644.00 (c) | श्रावणी मेला पर व्यय | 54,295.00 | | 17,40,603.00 | एकादश वित्त आयोग के रोकड़ बही के अनुसार राशि | 14,69,375.00 | दुसरे मद से विचलन | 2,71,228.00 इससे स्पष्ट है कि 2,71,228.00 रू० का विचलन दूसरे मद की राशि यथा द्वादस वित्त आयोग, अन्य विकास मद की राशि से जो सेन्ट्रल बैंक के इसी खाते 12611 था से किया गया है।	2,71,228.00 रू० का विचलन के विषय में उस समय के तत्कालीन पदाधिकारी हीं बता सकते है। अतः इस कंडिका को विलोपित किया जा सकता है।
	(iv) दिनांक 25.02.2004 को सेन्ट्रल बैंक से एकादश वित्त आयोग की राशि 6,05,011.00 रू० का स्थानान्तरण पी०एल०ए० खाता में किया गया था।	एकादश वित्त आयोग की राशि का स्थानान्तरण पी०एल०ए० खाता में

	लेकिन 31.03.2005 तक यह राशि पी0एल0 खाता में नहीं दर्ज था। पी0एल0 खाता का 31.03.2005 का अवशेष 1,90,840.00 रू0 या जिसमें से 93,247.00 रू0 प्रा0 अवशेष एवं 97,593.00 रू0 उस माह का प्राप्ति था। इससे स्पष्ट है कि अनुदान की राशि 6,05,011.00 का विचलन अन्य मद में किया जा चुका था। लेकिन पी0एल0 खाता से एकादश वित्त आयोग की योजना सं0- 11/05-06 में चेक सं0- A373035 दिनांक 05.09.06 द्वारा 25,000.00 रू0 का भुगतान किया गया था। अतः विचलन 6,05,011.00-25,000.00= 5,80,011.00 का था जो सरकार के दिशा निर्देश (सरकारी पत्रांक कंडिका- 5 का उल्लंघन था। इस विचलन के लिए कोई स्वीकृति नहीं ली गई थी। इसका कारण अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत करें।)	किया गया था, जो पूर्व की योजना, 2005-06 की योजना, श्रावणी मेला पर व्यय किया गया था। अतः इस कंडिका को विलोपित किया जा सकता है।
	(v) खनन कर एवं बिक्री कर की राशि 2,10,078.00 रू0 सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा नहीं किया गया था। इसे अविलम्ब सरकार के खाते में जमा करने की कार्यवाही की जाए।	खनन कर एवं बिक्री कर की राशि 2,10,078.00 रू0 सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा करने की कार्रवाई की जा रही है।
	(vi) योजना के भुगतान के समय मापी पुस्तिका एवं अभिश्रव में जो कम राशि हो वही भुगतान होना चाहिए लेकिन एकादश वित्त आयोग में विभिन्न अभिकर्त्ताओं को विभिन्न योजनाओं में कुल 12,597.00 रू0 का अधिक भुगतान किया गया। (विस्तृत विवरण **परिशिष्ट- III** पर) अतः 12,597.00 रू0 विभिन्न अभिकर्त्ताओं से वसूल किया जाए एवं उसे संबंधित शीर्ष में जमा किया जाए।	12,597.00 रू0 अधिक भुगतान की राशि की वसूली की कार्रवाई अभिकर्त्ता से की जा रही है। अतः कंडिका विलोपित किया जाय।
12	**<u>द्वादश वित्त आयोग</u>** द्वादश वित्त आयोग की अनुशंसा पर नगर पंचायत, राजगीर को 2005-06 से 2007-08 के बीच निम्नालिखित अनुदान प्राप्त हुआ था :-	द्वादश वित्त आयोग 2005-06 से 2007-08 की राशि प्राप्त था एवं टी0भी0 संख्या तथा दिनांक भेजने की कार्रवाई की जा रही है। राशि सेन्ट्रल बैंक से पी0एल0ए0 खाता में जमा किया गया। नागरिक सुविधा पर व्यय करना था लेकिन नागरिक सुविधा के मद्देनजर विशेष परिस्थिति में बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में व्यय किया गया। अतः इस कंडिका

क्र0	पत्रांक/ दिनांक	राशि	जमा
1	न0वि0वि0- 3191/28.09.05	18,19,547.00	P/L खाता में
2	न0वि0वि0- 3115/11.08.06	10,71,362.00	P/L खाता में
3	न0वि0वि0- 5674/13.12.07	21,13,480.00	P/L खाता में

उपर लिखित राशि में से 18,19,547.00 तथा 10,71,362.00 क्रमशः दिनांक 09.05.06 तथा दिनांक 29.12.06 को सेन्ट्रल बैंक के बचत खाता सं0- 12611 में स्थानान्तरित कर दिया गया था। शेष राशि 21,13,480.00 रू0 31.03.2008 तक पी0एल0 खाता में जमा था। सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार यह राशि पी0एल0 खाता में रखना था एवं टी0भी0 संख्या तथा दिनांक सरकार को भेजना था। लेकिन संचिका अवलोकन से ज्ञात हुआ है कि टी0भी0 संख्या सरकार को नहीं भेजी गई थी। टी0भी0 संख्या नहीं भेजना एवं राशि को सेन्ट्रल बैंक में स्थानान्तरित करना सरकार के दिशा निर्देश का उल्लंघन

है।

सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार द्वादश वित्त आयोग के अनुदान को निम्न प्रकार से व्यय करना था :-

i	ठोस अवशिष्ट प्रबंधन	50%
ii	नगर प्रबंधकों की क्षमता वृद्धि	1%
iii	ई गवर्नेन्स	3%
iv	नागरिक सुविधाओं पर व्यय	46%

नगर पंचायत द्वारा 21,13,480.00 रू0 के अनुदान से कोई व्यय नहीं किया गया था तथा शेष राशि व्यय किया गया था। सरकार के दिशा-निर्देशानुसार व्यय निम्न प्रकार से होना था :-

क्र0	अनुदान की राशि	50% ठोस अवशिष्ट प्रबंधन	1% नगर प्रबंधक	3% ई गवर्नेन्स	46% नागरिक सुविधा
1	1819547.00	909774.00	18195.00	54586.00	836992.00
2	1071362.00	535681.00	10174.00	32141.00	492826.00
	2890909.00	1445455.00	28909.00	86727.00	1329818.00

नगर पंचायत द्वारा वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 में निम्नलिखित योजना ली गई थी :-

i	2005-06 14 योजना पूर्ण, 1 अपूर्ण	व्यय (31.03.08) 7,68,970.00
ii	ट्रैक्टर खरीद	3,50,500.00
iii	हाइड्रोलिक ट्रेलर एवं पानी की टंकी	1,29,000.00
iv	विज्ञापन खर्च	1450.00
v	कर्मचारी को अग्रिम	38,500.00
vi	2006-07 15 योजना 13 योजना पूर्ण, 2 अपूर्ण	9,28,811.00
	कुल योग :-	22,17,231.00

नगर पंचायत को नागरिक सुविधा पर केवल 13,29,818.00 रू0 व्यय करना था जबकि व्यय 22,17,231.00 रू0 का किया गया था। अतः 8,87,413.00 रू0 का विचलन किया गया था। पुनः इस राशि से निम्नलिखित व्यय अन्य मदों पर किया गया।

क्र0	चेक सं0/ दिनांक	राशि	विवरण
1	013275/31.08.06	5000.00	एच0टी0 मीडिया लि0 को नगर पंचायत के विज्ञापन के लिए
2	0579073/03.10.07	13500.00	विशेष सफाई पर 4 कार्यालय कर्मी एवं 14 सफाई कर्मी को अग्रिम
3	0579074/04.10.07	20000.00	40 अस्थायी कर्मचारी को विशेष सफाई पर अग्रिम
	कुल योग :-	38500.00	

अतः कुल विचलन की राशि 887413.00+38500.00= 9,25,913.00 रू0 हुआ। सरकार के दिशा-निर्देशानुसार विचलन किसी भी परिस्थिति में नहीं करना था। अतः यहाँ सरकार के दिशा-निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया जो पूरी तरह अनियमित है।

को विलोपित किया जा सकता है।

(ii) <u>अधिक भुगतान</u>

श्री प्रमोद कुमार से

	योजना सं0- 2/05-06 जिसकी प्रा0 राशि 60,300.00 रू0 थी और मापी पुस्तिका के अनुसार कार्य मूल्य 60,300.00 रू0 था। लेकिन अभिकर्त्ता श्री प्रमोद कुमार को कुल 60,617.00 रू0 भुगतान हुआ था। (नगद- 55,400.00+खनन कर 1519+बिक्री कर 3698.00)। अतः 317.00 रू0 अधिक भुगतान अभिकर्त्ता से वसूल किया जाए।	317/- रूपये की वसूली कर जमा करा दी गई है।अतः कंडिका विलोपित किया जा सकता है।
	(iii) **योजना सं0- वार्ड नं0- 13/05-06 (द्वादश वित्त आयोग)** योजना का नाम- मेन बाजार से कॉलेज रोड तक ईट सोलिंग एवं नाला निर्माण। प्रा0 राशि- 62,600.00 अभिकर्त्ता का नाम- श्री किशोर प्रसाद **वास्तविक भुगतान** i चेक सं0- 013260/03.07.06 7500.00 ii चेक सं0- 013274/19.08.06 22,900.00 iii चेक सं0- 013351/26.08.06 19,700.00 iv चेक सं0- 013358/23.09.06 8,000.00 58,100.00 खनन कर 1,199.00 बिक्री कर 1,891.00 *कुल योग :-* 61,190.00 **अभिश्रव के अनुसार व्यय** सामग्री 46,041.00 मजदूरी 15,432.00 *कुल योग-* 61,473.00 इस योजना में निम्नलिखित कार्य हुआ था तथा निम्नलिखित सामग्री एवं मजदूर की आवश्यकता थी :-	श्री किशोर प्रसाद से 9796.00 रू0 की वसूली की कार्रवाई की जा रही है।

क्र0	कार्य	मात्रा	मजदूर	मिस्त्री	बालू	ईट	सिमेंट
1	Earth Filling	7794.15cft	71	-	-	-	-
2	Sand Filling	340.82cft	3	-	340.82cft	-	-
3	Brick E. Soling	2598.05cft	32	16	259.80cft	12990	-
4	Brick Work (1:4)	262.31cft	16	7	83.93cft	3017	16.78bag
5	C.P. (1:4)	510.23cft	10	5	24.49cft	-	4.89bag
			132	28	709.04cft	16007	22bag
			174	36	1238cft	17205	23bag
			42	8	528.96cft	1198	1bag
			68/-	100/-	683%cft	1984%	150/bag
			2856.00	800.00	3613.00	2377.00	1500

अतः कुल अधिक भुगतान 9796.00 रू0 (2856+800+3613+2377+150) की वसूली अभिकर्त्ता से की जाए एवं द्वादश वित्त आयोग की राशि में उसे जमा किया जाए।

	(iv) **योजना सं0- वार्ड नं0- 03/06-07 (द्वादश वित्त आयोग)** योजना का नाम- श्री बंगाली सिंह के घर से अर्जुन सिंह के मकान तक पी0सी0सी0 कार्य। प्रा0 राशि 60,400.00	श्री शिवनन्द राम से 11524.00 रू0 की वसूली कर चलान सं0- 63,दिनांक 04.09.2013

अभिकर्त्ता का नाम	श्री शिवनन्द राम

वास्तविक भुगतान

i	चेक सं0- 011350/03.07.06	7500.00
ii	चेक सं0- 013356/16.09.06	30,000.00
iii	चेक सं0- 013363/08.12.06	15,000.00
iv	चेक सं0- 013367/04.01.07	2,000.00
		54,500.00
	खनन कर	1,794.00
	बिक्री कर	4,039.00
	कुल योग :-	60,333.00

अभिश्रव के अनुसार व्यय

सामग्री	41,419.00
मजदूरी	19,252.00
कुल योग-	60,671.00

इस योजना में 799 घन फीट पी0सी0सी0 कार्य हुआ था तथा 96 मजदूर एवं 12 मिस्त्री की आवश्यकता थी, जबकि भुगतान 239 मजदूर तथा 30 मिस्त्री का था, अतः अधिक भुगतान था :-

i	मजदूर 239-96= 143 मजदूर x 68/- प्रति मजदूर	9724.00
ii	मिस्त्री 30-12= 18 मिस्त्री x 100/- प्रति मिस्त्री	1800.00
	कुल योग :-	11524.00

अतः अधिक भुगतान की राशि 11524.00 रू0 अभिकर्त्ता से वसूल किया जाए एवं संबंधित शीर्ष में जमा किया जाए।

से पी0एल0ए0 एकाउण्ट में जमा किया गया है। अतः इस कंडिका को विलोपित किया जा सकता है।

(v)

योजना सं0	13/06-07 (द्वादश वित्त आयोग)
योजना का नाम	जिला परिषद बाजार से सूरज यादव के घर तक ईट बिछाई का कार्य।
प्रा0 राशि	73,000.00
प्रशासनिक स्वीकृति	नगर पंचायत समिति
अभिकर्त्ता	श्री किशोर प्रसाद

अभिश्रव का विवरण :-

सामग्री	मात्रा	दर	राशि
ईट	25625	2000%0	51250.00
बालू	1793.78cft	625%	11211.00
		कुल योग :-	62461.00
मजदूर	132	75.00/ मजदूर	9900.00
मिस्त्री	12	100.00/ मिस्त्री	1200.00
		कुल योग :-	11100.00

कुल :- 62461.00+11100.00= 73561.00

कार्य का विश्लेषण

श्री किशोर प्रसाद से 41706/- रूपये का नोटिस किया जा चुका है।राशि की वसूली उनके मानदे मद से कटौती कर संबंधित शीर्ष मे जमा करा दीया जाएगा। अतः इस कंडिका को विलोपित किया जा सकता है।

कार्य	मात्रा	ईट	बालू	मिस्त्री	मजदूर
Earth filling	5125.10cft	-	-	-	52
Sand filling	1281.27cft	-	1281.27cft	-	12
B.E.S.	5125.10cft	25625	512.12cft	32	64
		25625	1793.78	32	128

इस योजना के मस्टर रॉल के अनुसार (18.01.07 से 24.01.07 तक) केवल 12 मिस्त्री का भुगतान था। 12 मिस्त्री से केवल 1920 वर्ग फीट ब्रीक ऑन एज सोलिंग कार्य हो सकता है जबकि मापी पुस्तिका के पृष्ठ सं0- 02 के क्रमांक- 03 के अनुसार ब्रीक ऑन एज सोलिंग में 5125.10 वर्ग फुट का भुगतान था। इससे स्पष्ट है कि 3205.10 वर्ग फुट (5125.10-1920), 1301.25 प्रति 100 वर्ग फुट की दर से कुल 41,706.00 रू0 का भुगतान संदेहास्पद था।

अतः कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि इस योजना की सम्यक जाँच करावें जिससे इस संदेहास्पद कार्य पर स्थिति स्पष्ट हो सके।

(vi) खनन कर तथा बिक्री कर की राशि 1,75,069.00 सरकार के संबंधित शीर्ष में नहीं जमा था। इसे यथा शीघ्र जमा करें।

खनन कर	96,442.00
बिक्री कर	1,28,627.00
रू0	1,75,069.00

खनन कर तथा बिक्री कर की राशि 1,75,069.00 रू0 सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा कर दी गयी है। अतः इस कंडिका को विलोपित किया जा सकता है।

13	**<u>स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना</u>** नगर विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक- 550नि०/11012/03-298/न०वि०वि०, दिनांक 19.05.05 के द्वारा नगर पंचायत, राजगीर को 2,26,000.00 रू० अनुदान प्राप्त हुआ। इस राशि को सेन्ट्रल बैंक के बचत खाता सं०- 12612 में जमा किया गया था। इस योजना के सभी घटको का अलग-अलग रोकड़ बही संधारित था परन्तु शहरी मजदूरी कार्यक्रम का रोकड़ बही 28.03.2007 तक तथा शेष रोकड़ बही 2003-04 तक ही संधारित था जिसका विवरण निम्नलिखित है :-	

क्र०	घटक का नाम	राशि	5% आकस्मिकता व्यय	अवशेष राशि
1	समुदायिक संरचना	74708.00	3785.00	70293.00
2	आधारभूत संरचना	13054.00	652.00	12402.00
3	शहरी गरीब महिलाओं एवं बच्चों का विकास	30500.00	1525.00	28975.00
4	स्व-रोजगार कार्यक्रम	2,84,846.00	15817.00	269029.00
5	शहरी रोजगार कार्यक्रम	13,914.00	696.00	13218.00
6	स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम	15222.00	762.00	14460.00
			23237.00	4,08,377.00

7	**शहरी मजदूरी कार्य में निम्नलिखित व्यय था :-**				
	प्रा० अवशेष	प्राप्ति	कुल राशि	व्यय	अन्त शेष (28.3.07)
	41,354.00	2,26,000.00	2,67,354.00	2,12,356.00	54,998.00

	<u>अंकेक्षण आपत्ति</u> (i) वर्ष 2003-04 एवं 28.03.07 के बाद रोकड़ बही का संधारण नहीं किया गया था।	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना में रोकड़ बही का संधारण कर लिया गया है। अतः इस कंडिका को विलोपित किया जा सकता है।
	(ii) पूर्व की राशि भारतीय स्टेट बैंक के खाता सं०- C-5751 में जमा थी तो 2.26 लाख रू० की राशि को अलग बैंक खाता में जमा करना गलत था।	इसका जवाब तत्कालीन पदाधिकारी हीं दे सकते है। अतः इस कंडिका को विलोपित किया जा सकता है।
	(iii) निम्नलिखित राशियों की निकासी चेक द्वारा की गयी थी परन्तु उसका इन्दराज रोकड़ बही में नहीं था :-	चेक बुक अद्यपन्ना/ बैंक पासबुक अगले अंकेक्षण के समय उपलब्ध कराया जायेगा। अतः इस कंडिका को विलोपित किया जा सकता है।

क्र०	चेक सं०/ दिनांक	राशि	विवरण
1	011596/30.08.06	6000.00	रंजू देवी द्वारा प्राप्त किया गया था।
2	011597/23.09.06	12500.00	किरण देवी द्वारा प्राप्त किया गया था।

उपरोक्त व्यक्तियों को यह राशि उपलब्ध कराने का कारण अंकेक्षण में नहीं

	बताया गया। पुनः निम्नलिखित चेक का इन्दराज रोकड़ बही था परन्तु चेक अधपन्ना/ बैंक पासबुक अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया क्र0 | चेक सं0/ दिनांक | राशि | विवरण 1 | 011551/29.09.06 | 1500.00 | रूपा देवी को चापाकल निर्माण हेतु 2 | 011552/29.09.06 | 1500.00 | तथैव 3 | 011553/21.11.06 | 4405.00 | श्री राम पिर्टिंग प्रेस को बी0पी0 कार्य हेतु 4 | 011554/01.03.07 | 651.00 | किरण देवी को चापाकल निर्माण हेतु 5 | 011555/28.03.07 | 2800.00 | रूपा देवी को चापाकल निर्माण हेतु *कुल :-* | 10,856.00 चेक अधपन्ना/ बैंक पासबुक के नहीं मिलने के कारण इन राशियों के सत्यता की जाँच नहीं की जा सकी। अतः चेक अधपन्ना/ बैंक पासबुक को अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।	
	(iv) कुल 23237.00 रू0 की निकासी आकस्मिकता व्यय के लिए किया गया था लेकिन इसका अभिश्रव अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही इस योजना में प्रशासनिक व्यय के लिए अलग शीर्ष है तथा आकस्मिकता की राशि उसी शीर्ष से व्यय होनी चाहिए। अतः विभिन्न घटकों से आकस्मिकता व्यय करना सरकार के दिशा-निर्देश का उल्लंघन है। अतः 23237.00 रू0 की राशि को जिम्मेवार व्यक्तियों से वसूल किया जाए।	कुल 23237/- रूपये की वसूली की कार्रवाई की जा रही है। अतः इस कंडिका को विलोपित किया जा सकता है।
	(v) अनियमित व्यय- इस योजना का लेखा एवं रोकड़ बही अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया जिसके अवलोकन से ज्ञात हुआ कि कुल 3,60,706.00 रू0 का व्यय सरकार के दिशा-निर्देश के विरूद्ध किया गया था। (विस्तृत विवरण **परिशिष्ट- IV** पर) सरकार के शहरी मजदूरी कार्यक्रम के दिशा-निर्देश का उल्लंघन कर किया गया 3,60,706.00 रू0 के खर्च को अंकेक्षण आपत्ति के अन्तर्गत रखा जाता है।	यह कार्य तत्कालीन पदाधिकारी खुद से किये है या जिला पदाधिकारी, नालन्दा के दबाव में किये है। इसका जबाव तत्कालीन पदाधिकारी हीं दे सकते है। अतः इस कंडिका को विलोपित किया जा सकता है।
14.	**<u>प्रशासनिक भवन निर्माण</u>** नगर विकास विभाग, पटना के पत्रांक- 1398, दिनांक 31.03.07 के द्वारा नगर पंचायत, राजगीर को प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु 28,87,875.00 रू0 अनुदान प्राप्त हुआ था। इस राशि को सेन्ट्रल बैंक के खाता सं0- 11806 में रखा गया था। दिनांक 27.08.07 को बोर्ड के बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि अनुमण्डल कार्यालय के दक्षिणी छोर पर सरकारी जमीन पर नगर पंचायत का प्रशासनिक भवन का निर्माण किया जाए लेकिन विवाद के कारण कार्य आरम्भ नहीं हो सका। पुनः यह निर्णय लिया गया कि छबिलापुर रोड में आर0डी0 उच्च विद्यालय के ठीक सामने सड़क के उत्तर सरकारी जमीन पर इसका निर्माण किया जाए। इस कार्य के लिए श्री राम सिंह, अनुसेवक को अभिकर्त्ता नियुक्त किया गया तथा	प्रशासनिक भवन निर्माण संबंध में अभिकर्त्ता श्रीराम सिंह से एक लाख रूपये की वसूली दिनांक 29.09.2008, 03.10.2008 एवं 11.04.2009 को क्रमशः 10,000/-, 5000/-, 85000/- कर ली गयी है एवं नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार,

	उसे चेक सं0- 036527, दिनांक 31.08.07 के द्वारा 1,00,000.00 रू0 अग्रिम दिया गया। लेकिन प्रधानाध्यापक, आर0डी0 उच्च विद्यालय द्वारा लिखित आपत्ति के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका तथा दिनांक 23.11.2007 को अभिकर्त्ता से 1,00,000.00 रू0 वसूली हेतु आदेश दिया गया, लेकिन अभी तक राशि की वसूली नहीं की गई है। अतः 1,00,000.00 रू0 की वसूली यथाशीघ्र अभिकर्त्ता से की जाए एवं साथ ही प्रशासनिक भवन के शीघ्र निर्माण प्रारम्भ करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए।	पटना के निर्देशानुसार कार्यपालक अभियंता, इूडा, नालन्दा को राशि हस्तांतरित कर दिया गया है। अतः इस कंडिका को विलोपित किया जा सकता है।
15.	**<u>सक्शन मशीन का क्रय</u>** माननीय सासंद श्री जॉर्ज फर्नाडीस की अनुशंसा पर निदेशक, लेखा प्रशासन सह स्व नियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, नालन्दा के द्वारा चेक सं0- 0087376, दिनांक 01.08.03 के द्वारा नगर पंचायत, राजगीर को 6,00,000.00 रू0 एक सक्शन मशीन सह जेटिंग मशीन क्रय करने हेतु दिया गया। इस राशि को सेन्ट्रल बैंक के खाता सं0- 12613 में जमा किया गया जिसमें से निम्नलिखित व्यय थाः-	

i	विज्ञापन प्रबंधक दैनिक जागरण	04.02.05	2446.00
ii	विज्ञापन प्रबंधक दैनिक आज		2509.00
iii	मे0आर0 के इन्टरप्राइजेज, पटना को सक्शन मशीन क्रय हेतु	28.04.06	278880.00
iv	मे0आर0 के इन्टरप्राइजेज, पटना को सक्शन मशीन क्रय हेतु	12.05.06	136120.00
		कुल :-	419955.00
		अवशेष राशि :-	180045.00

	<u>अंकेक्षण आपत्ति</u> :- (i) सक्सन मशीन के क्रय की संचिका अंकेक्षण में नहीं प्रस्तुत किया गया।	सक्सन मशीन की क्रय की संचिका अगले अंकेक्षण में उपलब्ध करा दिया जाएगा। अतः इस कंडिका को विलोपित किया जा सकता है।
	(ii) भंडार पंजी में इसका इन्द्राज नहीं था और न हीं हिस्ट्री कार्ड कार्यालय में उपलब्ध था।	सक्सन मशीन को भन्डार पंजी में दर्ज किया गया है। अतः इस कंडिका को विलोपित किया जा सकता है।
	(iii) सक्शन मशीन से हुए आय का कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया गया।	सक्सन मशीन से केवल नगर पंचायत, राजगीर का कार्य होता है। अतः इस कंडिका को विलोपित किया जा सकता है।
	(iv) वर्ष 2003-04 को प्राप्त हुई राशि का 2006-07 में खर्च किए जाने का कोई कारण अंकेक्षण में नहीं बताया गया। अतः सक्शन मशीन के क्रय एवम् अन्य पर व्यय राशि रू0 4,19,955.00 उपरलिखित कारण स्पष्टीकरण तक	यह कार्य तत्कालीन पदाधिकारी के द्वारा किया गया है। इसका

	अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।	जबाव तत्कालीन पदाधिकारी हीं दे सकते है। अतः इस कंडिका को विलोपित किया जा सकता है।
	(v) इसकी अवशेष राशि 180045.00 रू0 अभी तक पंचायत निधि में था। इसे यथाशीघ्र अनुमति लेकर खर्च किया जाए अथवा यदि आवश्यकता न हो तो उसे संबंधित प्राधिकृत व्यक्ति को वापस कर दिया जाय।	शेष राशि 1,80,045/- रूपये सेक्सन मशीन उपकरण के रख-रखाव में की जा रही है। अतः इस कंडिका को विलोपित किया जा सकता है।
	(vi) भंडार पंजी में इन्द्राज नहीं होना, हिस्ट्री कार्ड का उपलब्ध न होना, क्रय की संचिका नहीं प्रस्तुत करना, इससे प्राप्त आय का ब्योरा न देना, सक्शन मशीन के क्रय/ खरीद पर ही सवाल उठाता है, कि मशीन खरीदी गयी है या नहीं। इसके क्रय की प्रमाणिकता अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।	भंडार पंजी, हिस्ट्री कार्ड, क्रय संचिका, सक्शन मशीन से आय का ब्यौरा, सक्सन मशीन के क्रय/ खरीद की प्रमाणिकता अगले अंकेक्षण में दिखाया जाएगा। अतः इस कंडिका को विलोपित किया जा सकता है।
16.	**<u>लघु एवं मध्यम शहरों की समेकित विकास योजना (IDSMT)</u>** नगर विकास विभाग, बिहार सरकार, पटना के पत्रांक-03न0नि0/आई0डी0एस0एम0टी0- 30/2006-07, दिनांक 31.10.01 एवं भारतीय स्टेट बैंक सचिवालय शाखा के बैंक ड्राफ्ट सं0- 009439, दिनांक 27.09.01 द्वारा आवंटित 20,00,000.00 रू0 को सेन्ट्रल बैंक, राजगीर के बचत खाता सं0- 11489 में दिनांक 15.05.02 को जमा किया गया था। जिसमें से 05,00,000.00 रू0 दिनांक 02.12.02 को निकासी कर नालन्दा ग्रामीण बैंक के बचत खाता सं0- 2414 में स्थानांतरण किया गया। स्थानांतरण का कारण अगले अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया। राशि रू0 20.00 लाख से यूथ होस्टल के बगल में टूरिस्ट सेंटर तथा टूरिस्ट सर्विस सेन्टर बनाना था जिसकी प्रा0 राशि रू0 18.60 लाख थी। इस कार्य के लिए श्री राम सिंह, अनुसेवक को अभिकर्त्ता नियुक्त किया गया था तथा नालन्दा ग्रामीण बैंक के खाता से चेक सं0- 267461, दिनांक 18.08.05 को 7500.00 रू0 अग्रिम दिया गया था। इस अग्रिम के विरूद्ध अभिकर्त्ता द्वारा रू0 60,035.00 का कार्य (मापी पुस्तिका के पृष्ठ सं0- 03 पर दिनांक 10.09.05) किया गया था। संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि जिला पदाधिकारी, नालन्दा ने मौखिक रूप से यह आदेश दिया था कि अधीक्षक, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र कर लें। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने संचिका सं0- 01/43/04-05 दिनांक 06.04.05 को 1 साल के वैधता के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी	केन्द्र प्रायोजित I.D.S.M.T योजनान्तर्गत यूथ होस्टल के निर्माण हेतु 20,00,000.00 रू0 मात्र प्राप्त हुआ था। जिसमें निर्माण कार्य के रूप में अनुसेवक, श्रीराम सिंह से योजना का कार्य प्रारम्भ किया गया था। परन्तु तत्कालीन जिला पदाधिकारी, नालन्दा के द्वारा कार्य रोक दिया गया था। वर्त्तमान में I.D.S.M.T योजना की अवशेष राशि सेन्ट्रल बैंक के खाता सं0- 1560629249 में दिनांक 01.12.2014 तक अवशेष राशि 31,63,280/- जमा है।

	किया था। इसके बाद कार्यादेश ज्ञापांक- 435, दिनांक 22.08.05 को जारी किया गया था जिसके अनुसार 9 माह के अन्दर कार्य पूरा करना था। अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के 4 माह बाद कार्यादेश दिया गया था। इसका कारण स्पष्ट नहीं किया गया। पुनः सरकार के सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना द्वारा ज्ञापांक- 835, दिनांक 29.11.05 को यह सूचित किया गया कि जिला पदाधिकारी, नालन्दा बनाम पर्यटन विभाग बिहार सरकार पर मुकदमा दायर है। अतः यह जाँच कर ली जाय कि पर्यटन विभाग की भूमि का अतिक्रमण तो नहीं है। इसकी जाँच नहीं की गयी थी (संचिका के आधार पर) तथा कार्य स्थगित कर दिया गया था। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, राजगीर द्वारा पत्रांक- 458, दिनांक 14.11.06 द्वारा पुनः कार्य प्रारम्भ करने के लिए सचिव, जिला शहरी विकास अभिकरण, नालन्दा से अनुरोध किया गया था। लेकिन कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ था। अतः कार्यपालक, नगर पंचायत द्वारा ज्ञापांक- 273, दिनांक 31.08.07 के द्वारा अधीक्षक, पुरातत्व विभाग अंटाघाट, पटना को यह सूचित किया कि अपरिहार्य कारण से कार्य पूर्ण नहीं हो सका है। इसलिए अद्यतन अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने की कृपा करें। लेकिन यह अभी तक अप्राप्त है। अतः इससे स्पष्ट है कि 60,035.00 रू० का व्यय निरर्थक है। इसलिए कार्य प्रारंभ करने के लिए यथाशीघ्र कदम उठाया जाय। नहीं तो राशि सरकार को वापस किया जाय। बैंक पासबुक अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया इससे यह पता नहीं चल सका कि कितनी राशि अभी बैंक में है। इसे अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत करें।	बैंक पासबुक का अद्यतन कर अगले अंकेक्षण में दिखा दिया जाएगा। अतः इस कंडिका को विलोपित किया जा सकता है।
17.	**<u>राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम</u>** गंदी बस्ती के आवंटन संचिका तथा रोकड़-बही के अनुसार निम्नलिखित राशि वर्ष 2005-06 से 2007-08 तक प्राप्त हुई थी। 1. प्रारंभिक अवशेष — 3347.00 — स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया चालू खाता 5751 2. बैंक ड्राफ्ट सं०- 823577/06.05.04 — 1,10,000.00 — ,, नया 01000007243 3. न०वि०वि०, पटना के पत्रांक- 256/10.05.05 — 1,48,000.00 — तथैव **Rs.** — 2,61,347.00 बैंक पासबुक तथा चेक का अद्यतन अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं करने के कारण आय और व्यय के सत्यता की जाँच नहीं हो सकी।	गंदी बस्ती के आवंटन से स्लम क्षेत्र में दो-दो चापाकल का निर्माण नेवर हुड कमिटी गठित कर किया गया था एवं राशि व्यय हो गया है। बैंक पासबुक तथा चेक का अद्यतन कर लिया गया है। जिसे अगले अंकेक्षण में दिखा दिया जाएगा। अतः इस कंडिका को विलोपित किया जा सकता है।
	<u>अंकेक्षण आपत्ति</u> (i) योजना पंजी तथा योजना संचिका (अभिलेख) अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं लिया गया था।	योजना पंजी तथा योजना संचिका का संधारण कर लिया गया है। जिसे अगले अंकेक्षण में दिखा दिया जाएगा। अतः इस

<table>
<tr><td></td><td></td><td>कंडिका को विलोपित किया जा सकता है।</td></tr>
<tr><td></td><td>(ii) रोकड़ बही के अनुसार वर्ष 2005-06 से दिनांक 29.03.07 तक कुल व्यय Rs. 1,14,224.00 चापाकल तथा कुँआ निर्माण पर तथा Rs. 33,000.00 आवास निर्माण पर था। लेकिन चापाकल तथा कुँआ निर्माण की कोई अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं करने के कारण कुल व्यय की राशि Rs. 1,14,224.00 अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।</td><td>चापाकल तथा कुआँ निर्माण की कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने के कारण कुल व्यय की राशि 1,14,224.00 का ब्यौरा तत्कालीन पदाधिकारी, प्रधान सहायक हीं बता सकते है। अतः इस कंडिका को विलोपित किया जा सकता है।</td></tr>
<tr><td></td><td>(iii) आवास निर्माण में सरकार के निदेशानुसार Rs. 33,800.00 की अनुदान दी जाएगी तथा Rs. 2500.00 लाभार्थी द्वारा मजदूरी या नगद भुगतान किया जायेगा। लेकिन इसके विपरित संचिका से यह पता चला कि
<table>
<tr><td colspan="3">प्राप्त अभिश्रव</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>सामग्री</td><td>Rs. 17,025.00</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>मजदूरी</td><td>Rs. 8928.00</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>Rs. 25,953.00</td></tr>
</table>
मापी पुस्तिका उपलब्ध नहीं कराया गया जबकि अभिकर्त्ता को Rs. 33,000.00 भुगतान किया गया था।
<table>
<tr><td>i</td><td>501888</td><td>05.07.06</td><td>Rs. 7500.00</td></tr>
<tr><td>ii</td><td>501889</td><td>02.08.06</td><td>Rs. 15,000.00</td></tr>
<tr><td>iii</td><td>501894</td><td>07.09.06</td><td>Rs. 5000.00</td></tr>
<tr><td>iv</td><td>718151</td><td>29.03.07</td><td>Rs. 5500.00</td></tr>
<tr><td colspan="4">Rs. 33,000.00</td></tr>
</table>
लेकिन अभिश्रव केवल 25,953.00 का या तो भुगतान रू0 33,000.00 का किया गया था। इसका कारण स्पष्ट नहीं किया गया था।
पुनः अभिकर्त्ता को मजदूरी का भुगतान करना था। जबकि मजदूरी का भुगतान रू0 8928.00 कार्यालय द्वारा किया गया था। अतः रू0 8928.00+7047.00= 15,975.00 की वसूली जिम्मेदार व्यक्तियों से किया जाय।</td><td>15,975/- रूपये की वसूली की कार्रवाई अभिकर्त्ता से की जा रही है।</td></tr>
<tr><td></td><td>(iv) <u>सूद की राशि की हानि</u>
सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार गंदी बस्ती की राशि बचत खाता में रखना था। बावजूद इसके नगर पंचायत द्वारा यह राशि चालू खाता में रखा गया था (बैंक पासबुक अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराया गया था, केवल रोकड़बही पर अंकित था) इस कारण रू0 49,801.00 सूद का हानि हुआ था, जिसकी वसूली जिम्मेदार व्यक्तियों से किया जाए।
<table>
<tr><td>अनुदान की राशि</td><td>Rs. 82147X85 माह (01.03.01 से 31.03.08)</td><td>69,82,495.00</td></tr>
<tr><td>अनुदान की राशि</td><td>Rs. 1,10,000X46 माह (01.06.04 से 31.03.08)</td><td>50,60,000.00</td></tr>
</table></td><td>सूद की राशि 49,801/- रूपये की हानि के लिए तत्कालीन पदाधिकारी एवं प्रधान सहायक जिम्मेवार है।</td></tr>
</table>

		अनुदान की राशि	Rs. 1,48,000X34 माह (01.06.05 से 31.03.08)	50,32,000.00	
			Rs.	1,70,74,495.00	
		सूद की गणना	1,70,74,495X $\frac{3.5}{100}$ X $\frac{1}{2}$	49,801.00	
	(v) दिनांक 30.03.07 के बाद रोकड़ बही का संधारण नहीं किया गया था। इसे संधारित कर अगल अंकेक्षण में उपलब्ध करावें।				रोकड़ बही का संधारण कर लिया गया है। जिसे अगले अंकेक्षण में उपलब्ध करा दिया जाएगा। अतः इस कंडिका को विलोपित किया जा सकता है।
	(vi) रोकड़बही के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि पूर्व के अनुदान से गटीचक मोड़, ब्लॉक रोड से डोम हरी पथ में ईट सोलिंग तथा नाली निर्माण कार्य हुआ था। इस कार्य का प्रा० राशि Rs. 91,000.00 था तथा इसके अभिकर्त्ता कार्यपालक अभियंता रा०ग्रा०वि० कार्यक्रम, नालन्दा थे। उनको S.B.I. चेक सं०- 760572, दिनांक 08.03.02 से Rs. 45,000.00 अग्रिम दिया गया था। उसके बाद अभिकर्त्ता को काई भुगतान नहीं था। साथ ही योजना का अभिलेख भी अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराया गया था। इससे स्पष्ट है कि अग्रिम का राशि का सामंजस्य नहीं था। इस अग्रिम को 6 वर्ष हो चुके हैं। लेकिन अग्रिम का समायोजन/ कार्यपूर्ण करने के लिए कोई पत्राचार भी नहीं किया गया था। अतः अग्रिम की राशि Rs. 45,000.00 वसूली योग्य है।				पूर्व के अनुदान से दिया गया अग्रिम की राशि 45,000/- रूपये का समायोजन/ कार्यपूर्ण के लिए प्रधान सहायक को पत्राचार कार्यालय ज्ञापांक- 36, दिनांक 09.01.2015 द्वारा किया गया है।
	(vii) <u>सरकार को गलत उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजना</u> गंदी वस्ती के रोकड़बही के अनुसार कुल राशि Rs. 2,61,347.00 प्राप्त हुआ था तथा इससे कुल व्यय रू० 1,47,224.00 (Rs. 1,14,224.00 + Rs. 33,000.00) हुआ था तथा अवशेष राशि Rs. 1,14,123.00 था। गंदी वस्ती के उपयोगिता प्रमाण-पत्र के संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि कार्यपालक पदाधिकारी पत्रांक- 258, दिनांक 24.08.07 द्वारा संयुक्त सचिव, नगर विकास विभाग, बिहार, पटना को उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजा गया था, उसके अनुसार व्यय Rs. 2.61 लाख दर्शाया गया था। जबकि रोकड़बही के अनुसार Rs. 1.47 लाख ही वास्तविक व्यय था। इससे स्पष्ट है कि Rs. 1.14 लाख व्यय का गलत उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजा गया था। अतः गलत उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजकर सरकार के साथ धोखाधड़ी किया गया था। इसकी उच्च-स्तरीय जाँच की आवश्यकता है।				त्रुटिपूर्ण उपयोगिता प्रमाण पत्र में सुधार कर लिया गया है। अतः इस कंडिका को विलोपित किया जा सकता है।
18.	<u>पथों का निर्माण/ जिर्णोद्धार</u> नगर विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा पथों के निर्माण एवं जिर्णोद्धार के लिए नगर पंचायत, राजगीर को 38,11.000.00 रू० प्राप्त हुआ था, जिसका विवरण निम्नलिखित है :-				
		i	न०वि०वि०, बिहार, पटना ज्ञापांक- 1102/30.03.06	25,57,000.00	पथों का निर्माण/ जिर्णोद्धार के लिए 46 योजना थी।
			न०वि०वि०, बिहार, पटना		